Office of District Magistrate, Meerut

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

No. 1180/G/OA-511/2024 Date- 12/01/24

Sub: Action Taken Report in compliance of order dated 30.10.2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 511/2023 titled by Priyank Bharti Versus State of U.P. & Ors.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following main directions-

"--- 3. In terms of the direction of the Tribunal dated 21.08.2023, the joint Committee was required to identify the extent of encroachment and provide factual status of notifications and demarcation of river Budhi Ganga but, it appears that the said exercise has not been undertaken by the joint Committee. With the report only one enclosure received from the Sub Divisional Magistrate (Building) stated to be concerning the encroachment in Budhi Ganga has been enclosed. A perusal of the enclosure reveals that the details of alleged illegal allotment of plots under the Revenue Code have been mentioned but the encroachment on the prohibited area by the side of river Budhi Ganga has not been disclosed.

4. In view of this, learned Counsel appearing for the UPPCB has sought for further four weeks' time to file a fresh report by duly complying with the directions of the Tribunal contained in the order dated 21.08.2023.

5. There is no explanation as to why such an incomplete and unsatisfactory report has been filed by the joint Committee. Therefore, we have no option but to direct the District Magistrate, Meerut to appear by virtual mode on the next date of hearing.

6. It will be open to the applicant to file objection to the report before the next date of hearing.

7. List on 15.01.2024 ...."

In compliance of the above said order, meeting of the concerned departments was convened on 21/12/2023. Minutes of meeting is attached as Annexure-**A**. Further report of joint committee is attached herewith as Annexure-**B** for your kind perusal please.

Enclosure: As above

Yours faithfully

12/1/2024

(Deepak Meena)
District Magistrate,
Meerut

Annexure-A

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 में पारित आदेश दिनांक--30.10.2023 के अनुपालन हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–30.10.2023 के अनुपालन हेतु दिनांक–21.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपजिलाधिकारी, मवाना, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, ड्रेनेज खण्ड, मेरठ, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हस्तिनापुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ तथा श्री प्रियांक भारती, एप्लीकेंट द्वारा भौतिक/आनलाइन रूप से प्रतिभाग किया गया।

मा0अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं–

"......... 2. In purported compliance of the aforesaid order, the joint Committee has filed report on 26.10.2023. The report discloses that the domestic discharge from Nagar Panchayat, Hastinapur area is flowing through the "Nala" to low land area and is collected there. From the middle of this low laying area Akbarpur escape is also flowing which finally meets river Ganga near Paharpur Kutum Village. It is stated that there is no treatment facility of effluent flowing from the drain from Nagar Panchayat, Hastinapur. The report states that there is no water polluting unit/industry in Hastinapur area but, this aspect has been disputed by the applicant by submitting that Tikaula Sugar Mill, which is a water polluting unit/industry, is operating in Hastinapur area. He has also submitted other industries are also operating in the area which are causing pollution.

3. In terms of the direction of the Tribunal dated 21.08.2023, the joint Committee was required to identify the extent of encroachment and provide factual status of notifications and demarcation of river Budhi Ganga but, it appears that the said exercise has not been undertaken by the joint Committee. With the report only one enclosure received from the Sub Divisional Magistrate (Building) stated to be concerning the encroachment in Budhi Ganga has been enclosed. A perusal of the enclosure reveals that the details of alleged illegal allotment of plots under the Revenue Code have been mentioned but the encroachment on the prohibited area by the side of river Budhi Ganga has not been disclosed.

4. In view of this, learned Counsel appearing for the UPPCB has sought for further four weeks' time to file a fresh report by duly complying with the directions of the Tribunal contained in the order dated 21.08.2023.

5. There is no explanation as to why such an incomplete and unsatisfactory report has been filed by the joint Committee. Therefore, we have no option but to direct the District Magistrate, Meerut to appear by virtual mode on the next date of hearing.

6. It will be open to the applicant to file objection to the report before the next date of hearing.

7. List on 15.01.2024...."

बैठक में अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, ड्रेनेज खण्ड, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि बूढ़ी गंगा, गंगा नदी की एक धारा है। सिंचाई विभाग में उपलब्ध गंगा के फ्लड जोन के मैप का अवलोकन किया गया।

बैठक में एप्लीकेंट श्री प्रियांक भारती द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ की तहसील मवाना के 60–62 गांवों से होकर बूढ़ी गंगा गुजर रही है एवं अधिकांशत बड़े गांवों के रकबों में आवंटन हुआ हैं। कुछ रकबों में कब्जे हैं किन्तु आवंटन नहीं हुआ है। उनके पास ऐसे गांवो की सूची है जिनमें नदी बह रही है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम हस्तिनापुर पांडवान के खसरा संख्या–806 में मा0उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरांत भी रजिस्ट्री हो रही है एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं नगर पंचायत, हस्तिनापुर

द्वारा हाउस टैक्स भी वसूल किया गया है। एप्लीकेंट द्वारा सप्लीमेंटरी एफीडेविट में इसका उल्लेख किया गया है।

उपजिलाधिकारी, मवाना द्वारा बताया गया कि भूअभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के क्षेत्रफल में 1359 फसली वर्ष की तुलना में वृद्वि हुयी है, लगभग 30गांवों की रिपोर्ट आ गयी है जिसमें 08 गांव में फसल चकबंदी के कारण बूढ़ी गंगा के क्षेत्रफल में कमी हुयी है एवं कुछ में पट्टा निरस्त की कार्यवाही की जा रही है। तहसील अभिलेखों में बूढ़ी गंगा के नाम से मैप नहीं है गांव से जोड़ते हुये नदी का एलाइनमेंट बनाया जायेगा। नदी कहीं नाले के रूप में एवं कहीं नदी के रूप में हैं एवं कहीं कहीं जगह नदी का क्रम टूट गया है।

बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ के मवाना क्षेत्र में जलप्रदूषणकारी उद्योग स्थापित एवं संचालित नहीं है यथापि जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र में मै0 टिकौला शुगर मिल्स लि0, टिकौला, की शुगर एवं आसवनी इकाई स्थापित एवं संचालित है, जिसकी आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर से प्राप्त की गयी है। शुगर इकाई का उत्प्रवाह सिंचाई में प्रयोग किया जा रहा है जबकि आसवनी इकाई Zero Liquid Discharge(ZLD) पद्वति पर है एवं वर्तमान में बंद है।

निर्देशित किया गया कि नदी/नाले का एलाइनमेंट बनाते हुये प्रस्तुत किया जाये तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाए। वाद में आगामी तिथि 15/01/2024 नियत है। अतः उससे पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाही कर मा0एनजीटी के समक्ष आख्या दाखिल की जाये।

(कार्यवाही–उपजिलाधिकारी, मवाना)

22/12/2023

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ

पत्रांक– 1109/G/OA-511/1प्र0नि0/2023. **दिनांक–** 22-12-23.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उपजिलाधिकारी, मवाना, मेरठ ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
3. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, ड्रेनेज खण्ड, मेरठ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हस्तिनापुर, मेरठ।
5. श्री प्रियांक भारती, एप्लीकेंट को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ

Annexure-B

Report of joint committee in compliance of order dated 30.10.2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 511/2023 titled by Priyank Bharti Versus State of U.P. & Ors.-

In compliance of order dt. 30.10.2023 passed by Hon'ble NGT, New Delhi, in OA No 511/2023 titled by Priyank Bharti Versus State of U.P. & Ors. report of joint committee comprising of main issues raised is as follows-

1- There are 7405 households in the town area of Hastinapur. All are having soakpits and septic tanks through which the overflow is discharge in the drains, which ultimately flows in chetawala drain. This drain finally falls in a low lying area of wetland where natural phytoremediation occurs. Report dt 10.01.2024 produced by Executive Officer, Nagar Panchayat, Hastinapur regarding discharge of town and proposal for treatment of sewage of town is attached as **Annexure-1.** It is pertinent to mention that sample of Chetawala Nala was collected jointly by team of CPCB and UPPCB on 04.09.2023. The sample of discharge parameters before meeting River Ganga with respect to color, pH, BOD and COD are found conforming to the norms. The copy of analysis report is attached as **Annexure-2**.

2- It is submitted that there are no water polluting industries in the catchment area of Budhi Ganga in District Meerut. In respect to order dt 21/08/2023 of Hon'ble Tribunal report was sought from Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar. The report dt 11.12.2023 received from Regional officer, UPPCB, Muzaffarnagar about industries in catchment of Budhi Ganga and their discharge status is attached as **Annexure-3.** As per report one distillery namely Tikaula Distillery and one sugar mill namely Tikaula Sugar Mills Ltd. are situated in the catchment of Budhi Ganga. The distillery unit is based on Zero Liquid Discharge(ZLD) technology and is not operational at present while the

P.T.O.

sugar mill is operational only. The treated effluent of Tikaula Sugar Mill is being used for irrigation purposes besides having holding lagoons for storage as per norms.

3- Status of encroachment and removal on land of Budhi Ganga is attached as **Annexure-4.**

4- As per irrigation records, Budhi Ganga is not a river but a stream. Hence notification regarding Budhi Ganga is not available.

The above report is being submitted for perusal and necessary action please.

12/1/24	12/1/24	
(Regional Officer) UPPCB, Meerut	(Executive Engineer) Drianage Khand, Irrigation Department, Meerut	(Sub Divisional Magistrate) Mawana, Meerut

Annexure-1

कार्यालय नगर पंचायत हस्तिनापुर (मेरठ)

पत्रांक : 689/न0पं0ह0/2023-24 दिनांक : 10.01.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित N0-511/2023 Priyanka Bharti Vs State of Uttar Pradesh. में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/9451/429(14)/2023 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित N0-511/2023 Priyanka Bharti Vs State of Uttar Pradesh. में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत हस्तिनापुर में लगभग 7405 भवन है। जिनमें सभी में सोकपीट एवं सेप्टिक टैंक बने हुए है जिनका ओवरफ्लो का पानी ही नाली/नालों मे जाता है। जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। नाली/नालों का पानी साईफन से होते हुए बेतावाला नाले में जाता है। जो कि वेटलेण्ड है जो स्वतः ही फाईकोरेमिडियेशन का कार्य करती है। और नगर पंचायत हस्तिनापुर मे एस0टी0पी0/एफ0एस0टी0पी के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव स्वीकृती हेतु शासन में भेजा जा चूका है, जिससे स्वीकृति मिलते ही अतिशिघ्र कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत हस्तिनापुर
नगर पंचायत हस्तिनापुर (मेरठ)
जनपद - मेरठ

प्रतिलिपि

1. निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत हस्तिनापुर
(मेरठ)

कार्यालय नगर पंचायत हस्तिनापुर (मेरठ)

पत्रांक : 132 / न0पं0ह0 / 2015–16 दिनांक 23.06.2015

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास विभाग (गंगा सेल)
लखनऊ।

विषय : गंगा नदी किनारे स्थित नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों/उद्योगों हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2015 के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 28.05.2015 में दिये गये निर्देशो की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि गंगा नदी किनारे स्थित नगर निगमों/ शहरी स्थानीय निकायों/उद्योगो हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2015 के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 28.05.2015 में दिये गये निर्देशो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है, एवं नगर पंचायत से सम्बन्धित संशोधित एक्शन प्लान निर्धारित प्रारूप पर पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. नगर पंचायत हस्तिनापुर द्वारा एक्शन प्लान पूर्व में प्रेषित कर दिया गया था। परन्तु बैठक में दिये गये निर्देशानुसार संशोधित एक्शन प्लान पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
2. प्रारूप के बिन्दु संख्या–09 व 11 में संशोधन कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
3. बिन्दु संख्या–16 व 18 में संशोधन कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
4. निर्देशानुसार नक्शा संलग्न है।
5. एस0टी0पी0 हेतु प्रस्ताव बनाकर उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद, को भेज दिया गया है, एवं भूमि का चयन कर उन्हें सूचित कर दिया गया है।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत हस्तिनापुर
(मेरठ)

24-6-15

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, 2–लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।
3. निदेशक/एस0एल0एन0ए0 नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, 8वॉं तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, महोदय, मेरठ।

28/6/015

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत हस्तिनापुर
(मेरठ)

O/C

Annexure-2

DRAIN MONITORING FORMAT

Date & Time of sampling: 04.09.2023 (12 noon) **Date of Report Submission:** 22.11.2023

1.	Name of the Drain & City		:	Chetawala Drain
				River Ganga Canal
2.	Meeting Ganga/tributary/sub-tributary		:	River Ganga
	Name of tributary and sub-tributary		:	River Ganga (First order)
	Order of drain (first/second….)			
3.	Confluence at Left/Right bank		:	Right bank
4.	Name of District of confluence point of drain		:	Meerut
5.	Name of the Regional Office of SPCB/District		:	Meerut
6.	Source of Pollution load (Domestic/ Mixed/ Industrial)		:	River water/ field water only
	If Industrial /Mixed , Name of the Industrial units – sector)		:	No
7.	Catchment areas: origin point to confluence point (major towns along with districts).		:	Budhi Ganga (Canal), Hastinapur and Chetawala village, Khijarpur, Meerut district
8.	Traceable length (in km) before meeting Ganga and its tributaries		:	6kilometers
9.	Drain Status (dry/stagnant/flow)		:	Flow
10.	Tapped/Untapped		:	Untapped
	Overflow seen in tapped (Yes/No)		:	No
11.	Co-ordinate of the confluence point	Latitude	:	29.1350723
		Longitude	:	78.0540395
12.	Distance from confluence point to sampling point in km.		:	4 kilometers
13.	Co-ordinate of the sampling point	Latitude	:	29.166419
		Longitude	:	78.027587
14.	Landmarks / Address of the location of sampling point		:	Chetawala village
15.	Flow (in MLD)		:	**0.25 m3/s = 21.6 MLD**
	Flow measuring method		:	Ball Float method
	Factor used to calculate flow (specify)		:	Length = 13.5 m; Time = (90+105) / 2 = 97.5 seconds; Width = 15 m; Depth = 0.15 m; Factor = 0.8
	If flow was not measured, specify		:	Not Applicable
	In case of Tidal effect, details		:	Not Applicable
16.	Status of Screen Bar/drainage net installed, if Yes, details with photographs	Tapping Point	:	Not Applicable
		Confluence	:	Not Applicable
17.	V-Notch/flow measuring device installed, if Yes, details with photographs	Tapping Point	:	Not Applicable
		Confluence	:	Not Applicable
18.	Tapping details (volume tapped in MLD)		:	Not Applicable
	SPS details	Name & Location of SPS	:	Not Applicable
		SPS Capacity	:	Not Applicable
	Interception & Diversion to	Name & Location of STP	:	Not Applicable
		STP Capacity	:	Not Applicable

	and monitor overflow and collect sample.		
20.	Interim Remediation measure adopted (Yes/No)	:	No
21.	Field Observations	:	1. Small fishes were observed at complete width of the drain near the sampling point. 2. Water depth in drain very less (~0.5 ft.) 3. As informed by locals, no domestic or industrial effluent is discharge in the drain. 4. The water present in the drain was informed to be of Budhi Ganga Canal. 5. As informed, the drain consists of water mainly from agricultural run off.
22.	Urgent action required, if any	:	No
	Name of all monitoring officers along with Designation		
23.	Mrs. Shraddha Lonarkar, RA-III, CPCB	:	Shraddha
	Mrs. Anubha Aggarwal, SRF, CPCB		
	Mr. Manoj Pant, OA, CPCB		
	Mr. Ran Vijay Bharti, JRF, UPPCB RO, Meerut-UPPCB Mob: +91 9628136059		Rbharti

Photographs

Upstream of Sampling Point

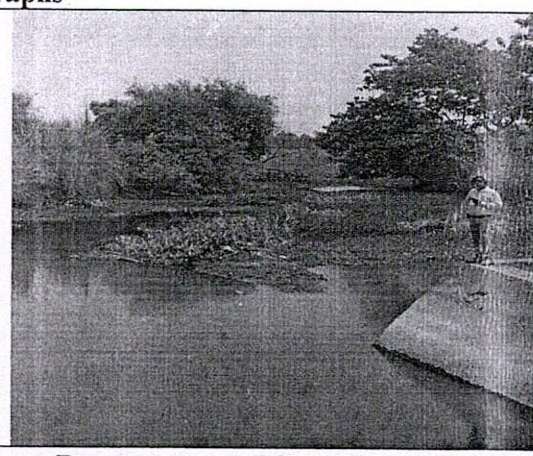

Downstream of Sampling Point

ANALYSIS RESULTS

S. No.	GENERAL PARAMETERS		
1.	Colour (Hazen)	:	BDL<5
2.	pH	:	7.3
3.	BOD (mg/l)	:	10
4.	COD (mg/l)	:	39
5.	TSS (mg/l)	:	65
6.	TDS (mg/l)	:	872
7.	Cl^- (mg/l)	:	26
9.	NO_3^-(mg/l)	:	1
10.	SO_4^{2-} (mg/l)	:	26
11.	PO_4^{3-} (mg/l)	:	0.4

*****

Annexure-3

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 912/G-140/NGT General/MZR/2023

दिनांक Dated 11-12-2023

To

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Meerut.

Sub. : Regarding compliance report of order passed dated 30.10.2023 by Hon'ble NGT in O.A. No. 511/2023 Priyank Bharti Vs State of Uttar Pradesh & Others.

Sir,

Please refer to your letter no. 903/G/OA-511/Priyank/2023 dated 08.11.2023. In compliance of Hon'ble NGT order dated 30.10.2023 in O.A. No. 511/2023 Priyank Bharti Vs State of Uttar Pradesh & Others, inspection report of M/s Tikaula Sugar Mills Ltd. Tikaula, Muzaffarnagar and M/s Tikaula Distillery Tikaula, Muzaffarnagar is enclosed herewith for further necessary action.

Thanking you,

Enclosure : As above.

Yours faithfully,

(Ankit Singh)
Regional Officer

Copy to :

1. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

D/Neeraj Mittal/Letter 2023(1)

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
MUZAFFARNAGAR

INSPECTION REPORT (SUGAR UNIT)

A : General Information			
1.	Name of the unit and address	**M/s. Tikaula Sugar Mills Ltd., Tikaula, Muzaffarnagar**	
2.	Name of the Proprietor/Contact person, Designation	Sh. K.K. Sharma, G.M.	
3.	Date of Inspection	24.11.2023	
4.	Year of Commissioning	1999	
5.	Sector	Private	
6.	Cane crushing capacity	12000 TCD (Sugarcane)	
7.	Operational status	Operational	
8.	Consent Status	Valid upto 31.12.2026	
B : Water Pollution and its Control			
1.	Water Supply Source(s)	Tube well	
	Water Consumption (KLD)	Industrial	940 KLD
		Domestic	60 KLD
2.	Flow measuring device installed at outlet of ETP	Available	
3.	Waste Water generation (KLD) (before treatment) • Industrial • Domestic	 1920 KLD 50 KLD	
4.	Waste Water treatment capacity (KLD) • Industrial • Domestic	 2000 KLD (Approx.) 100 KLD	

5.	Details of ETP	Oil & Grease Trap, Equalization Tank, Primary Clarifier, Aeration Tank, Secondary Clarifier, Sand Filter, Activated Carbon Filter, Sludge Drying Beds etc.
	Status of ETP	Operational
6.	Details of STP	Collection Tank, Vermi Bed, Ozone Contact Tank, Treated Water Tank
	Status of STP	Operational
7.	(A) Design Parameters of ETP	Fixed
	(B) Operating Parameters of ETP	Biological in Nature
8.	Adoption of emerging technologies of ETP	Sustaining Process
9.	Waste water discharged (after treatment) (KLD)	
	• Industrial	1920 KLD (maximum) (Used for ferti irrigation on land)
	• Domestic	50 KLD
10.	Mode of disposal of treated effluent (Details)	Treated effluent being used for Ferti Irrigation on Land
11.	Sludge disposal mode	In Sludge drying beds.
C : Air Pollution and its Control		
1.	Sources of Air Pollution	04 Boilers 01 Boiler of 75 TPH, 02 Boilers of 35 TPH each and 01 Boiler of 60 TPH
2.	Type of Fuel used with consumption	Bagasse 2350 MT/Day
3.	Stack details	75 TPH Boiler Stack – 50 meter 35 TPH Boiler Stack – 45 meter (Combined) 60 TPH Boiler Stack – 50 meter
4.	APCS details	Wet Scrubber installed for all boilers
5.	Status of APCS	Operational

6.	Photographs of ETP

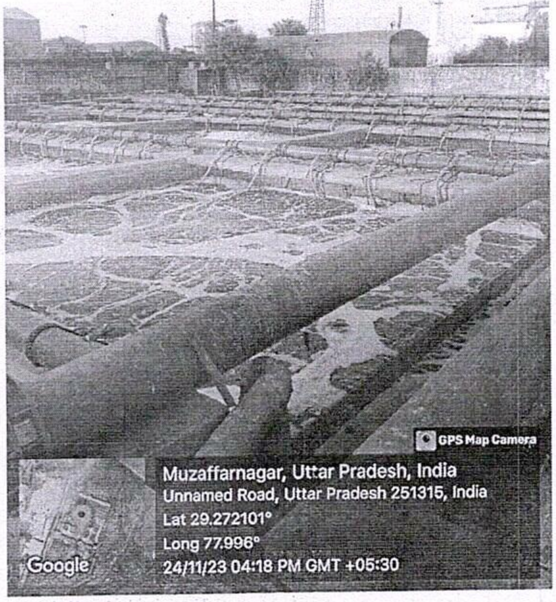

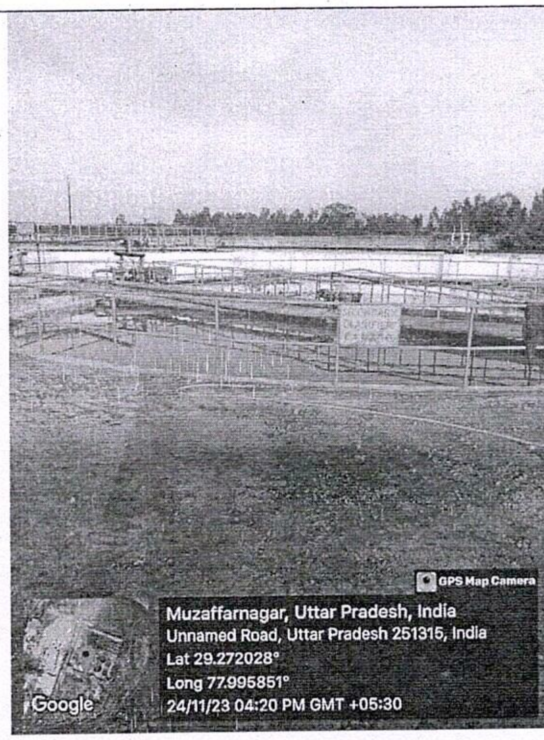

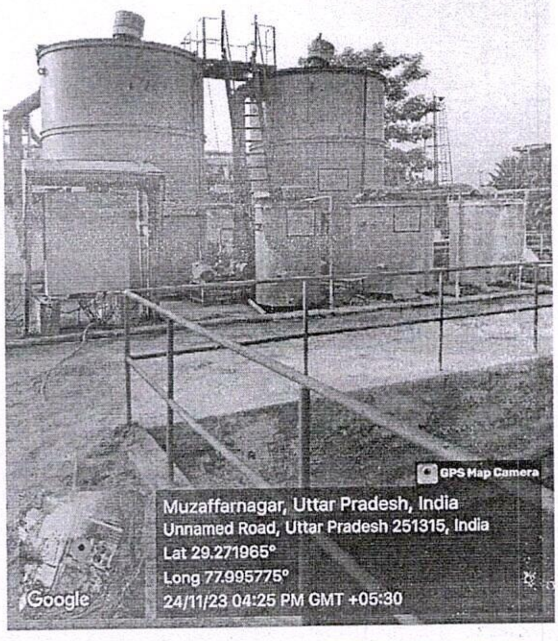

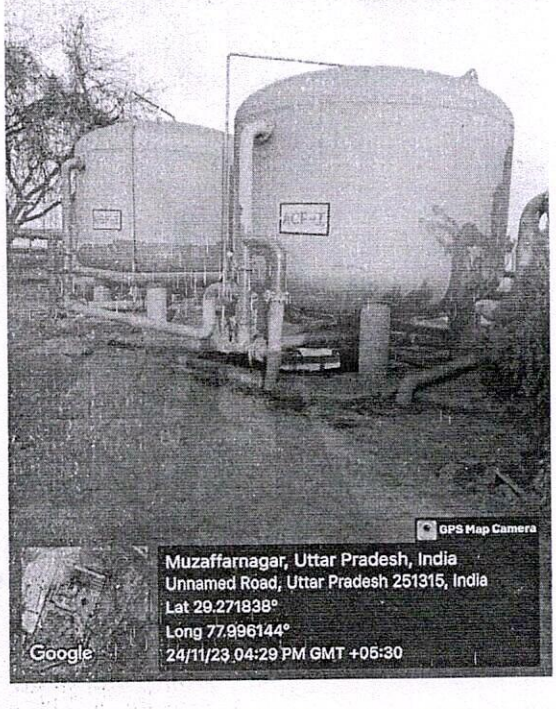

INSPECTION REPORT (DISTILLERY)

A : General Information			
1.	Name of the unit and address	**M/s. Tikaula Distillery, Tikaula Muzaffarnagar**	
2.	Name of the Proprietor/Contact person, Designation	Sh. K.K. Sharma, G.M.	
3.	Year of Commissioning	2003	
4.	Sector	Private	
5.	Production Capacity	Rectified Sprit/Ethanol 75 KLD (By using C-Heavy Mollasses) 93 KLD (By using B-Heavy Mollasses)	
6.	Raw materials & their requirement	B-Heavy Molasses 303 MTD **OR** C-Heavy Molasses 340 MTD	
7.	Operational Status	Not Operational due to own reasons	
8.	Consent Status	Valid upto 31.12.2023	
B : Water Pollution and its Control			
1.	Water Supply Source	Tube well	
	Water Consumption (KLD)	Industrial	670 KLD
		Domestic	5 KLD
2.	Waste Water generation (KLD) (before treatment) • Industrial • Domestic	Zero Liquid Discharge 4 KLD	
3.	Waste Water treatment capacity (KLD) • Industrial • Domestic	1062 KLD (Condensate Polishing Unit) 4 KLD (Septic Tank)	
4.	Details of ETP	MEE, Slop Boiler and CPU	
	Status of ETP	Operational	
5.	(A) Design Parameters of ETP	Fixed	
	(B) Operating Parameters of ETP	Biological in Nature	

6.	Adoption of emerging technologies of ETP	Sustaining Process
7.	Waste water discharged (after treatment) (KLD) • Industrial	For ensuring Zero Liquid Discharge, spentwash generated from process, unit have 02 nos. MEE of capacity 474 KL/Day and 315 KL/Day and 30 TPH capacity Incineration Boiler. For the treatment of MEE Condensate, Boiler Blow Down, Floor Washing etc. unit have 1062 KLD capacity CPU. The treated effluent used in fermentation and in cooling tower as makeup water.
	• Domestic	Septic Tank
8.	Mode of disposal of treated effluent (Details)	At the time of inspection unit found complying in reference of Zero Liquid Discharge.
C : Air Pollution and its Control		
1.	Sources of Air Pollution	Boiler 30 TPH capacity
2.	Type of Fuel used with consumption	Slop (B-Heavy Operation) 143 MTD Slop (C-Heavy Operation) 193 MTD Bagasse 184 MTD
3.	Stack details	01 No., Height 80 Mtr. from ground level
4.	APCS details	ESP with ash removal system with manually operated nise knife as EDGE Gates

5.	Photographs for ZLD

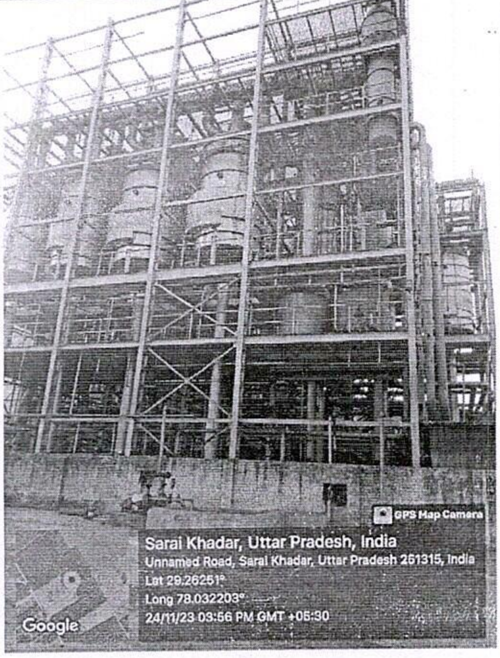

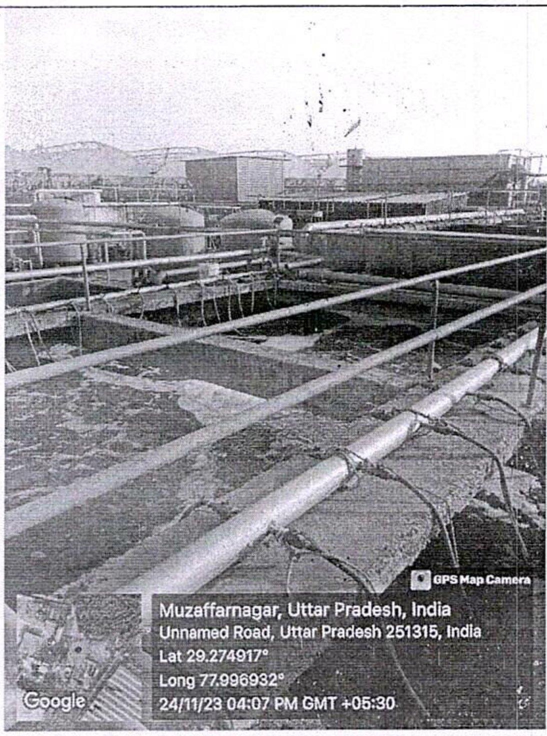

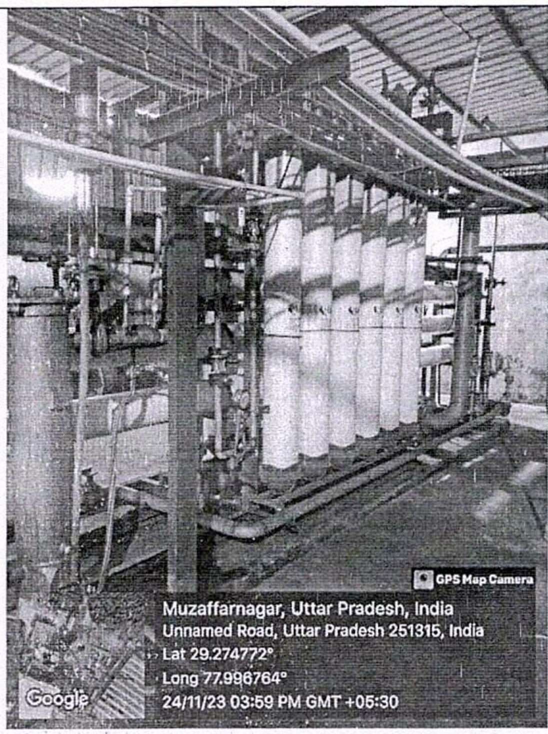

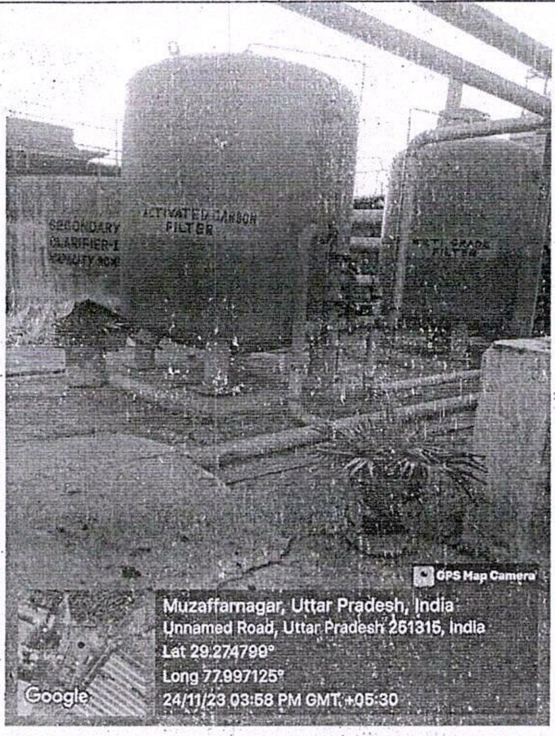

Possible Route of effluent to reach river Boodhi Ganga

During inspection it is found that a storm water drain flows near the above industries which meets into Samana Jheel travelling approx. 1.0 Km. It is the possibility that during rainy season, the overflow of Samana Jheel may go to Boodhi Ganga.

Observations

1. **M/s Tikaula Sugar Mills Ltd., Tikaula, Muzaffarnagar** found operational during the inspection.
2. Unit has adequate capacity ETP which found operational during the visit. Unit has installed Online Continuous Effluent Monitoring System at the outlet of ETP. During visit all the parameters found within the prescribed norms.
3. Unit has holding lagoon (15 days capacity) for use of treated effluent into ferti irrigation.
4. Unit has installed Online Continuous Emission Monitoring System installed on all 03 Stacks. During visit particulate matter found within the prescribed norms.
5. **M/s Tikaula Distillery, Tikaula, Muzaffarnagar** found non-operational during visit due to own reasons.
6. Unit have 01 Lagoon (Lagoon No. 3) for storage of concentrated spentwash of 07 days.
7. Unit have installed PTZ camera in lagoon area for the vigilence of ZLD.
8. In the catchment of Boodhi Ganga, there is no any major water polluting industries are established / operational.

(Sarvesh Kumar)
Lab Asstt.

(Imraan Ali)
A.E.E.

Regional Officer

Annexure-4

3

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना।

संख्या 109 /एस0टी0–मवाना/2024 दिनांक 12 जनवरी 2024

विषय– मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–511/2023 प्रियांक भारती बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–10–2023 के अनुपालन के संबंध में।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महोदय के पत्र संख्या–5499/ जे0ए0प्रथम/मिस0–15/एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 03–01–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के सन्दर्भ संख्या–H02775/सी–3/एन०जी०टी० 352/2023 दिनांक 08–11–2023 के अन्तर्गत मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0–511/2023 प्रियांक भारती बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 के सुसंगत अंश "…….

4. In view of this, learned Counsel appearing for the UPPCB has sought for further four weeks' time to file a fresh report by duly complying with the directions of the Tribunal contained in the order dated 21.08.2023.
5. There is no explanation as to why such an incomplete and unsatisfactory report has been filed by the joint Committee. Therefore, we have no option but to direct the District Magistrate, Meerut to appear by virtual mode on the next date of hearing.
6. It will be open to the applicant to file objection to the report before the next date of hearing.
7. List on 15.01.2024. " का उल्लेख कर मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–2023 का अनुपालन करते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चार सप्ताह में एक नवीन रिपोर्ट दाखिल करने तथा जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को अग्रिम सुनवाई तिथि 15.01.2024 "to appear virtual mode" हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार मवाना व चकबन्दी विभाग मवाना से आख्या प्राप्त की गयी, जोकि मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी
मवाना।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में तहसील मवाना में स्थित बूढी गंगा के अभिलेखो का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त आख्या निम्नवत है–

तहसील मवाना में बूढी गंगा का विवरण

क0	ग्राम का नाम	खतौनी फसली के अनुसार	जोत चकबन्दी आकार पत्र 41–45 के अनसुार	वर्तमान खतौनी का विवरण	क्षेत्रफल में कमी/बेशी होने कारण	बूढी गंगा की भूमि पर की गई कार्यवाही व अन्य विवरण।
1	2	3	4	5	6	7
1	सैफपुर फिरोजपुर	फसली 1379 से 1381 में 2 खातो में कुल खसरा नम्बरान 9, कुल रकबा 56.652है0 है।	कुल खसरा नम्बरान 9, कुल रकबा 56.652है0 है।	वर्तमान खतौनी फसली 1412–17 में 2 खातो में 9 खसरा नम्बरान में कुल रकबा 11.888है0 है।	रकबे में आवंटन के कारण 44. 764है0 की कमी हुई।	आवंटन निरस्तीकरण की प्रकिया की जा रही है।
2	सराय खादर	फसली 1359 के अनुसार कुल खसरा सं0 2 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा	कुल खसरा सं0–3 कुल रकबा –07–04–00	कुल खसरा सं0–3 कुल रकबा – 1.8210है0	पंचशाला बन्दोबस्ती में रकबे में 1.24है0 की कमी हुई है।	रकबे में की गई कमी के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
3	शाहपुर सुल्तानपुर	फसली 1359 के अनुसार रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा	–	रकबा 2.0740है0	रकबे में कोई कमी नही है।	–
4	गजरौली	–	–	–	–	उक्त ग्राम के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
5	नंगली खादर	फसली 1359 के अनुसार रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा	रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा	रकबा 3.370है0	रकबा 5 बीघा वृद्धि हुई है।	–

	ऐदलपुर(हस्तिनापुर)	फसली 1370 के अनुसार कुल खसरा सं0 9 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा	कुल खसरा सं0 7 कुल रकबा 2.541है0	कुल खसरा सं0 7 कुल रकबा 2.541है0	चकबन्दी प्रकियाओ के दौरान रकबा 0.112है0 वृद्धि हुई है।	–
7	कंकरखेड़ा	फसली 1375 के अनुसार 1– झील– कुल खसरा नं0–1 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वां 2– सोती कुल खसरा नं0 1 रकबा 12 बिस्वां	1– कुल खसरा नं0–1 रकबा 1.214है0 2– कुल खसरा नं0–1 रकबा 0.152है0	1– कुल खसरा नं0–1 रकबा 1.214है0 2– कुल खसरा नं0–1 रकबा 0.152है0	रकबे में काई अन्तर नही है।	– –
8	बामनौली	फसली 1359 के अनुसार रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा	रकबा 1.455है0	रकबा 1.455है0	रकबे में कोई कमी नही है।	–
9	रूपडा	फसली 1359 के अनुसार रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा	रकबा 5.129है0	रकबा 5.129है0	रकबे में कोई कमी नही है।	–
10	बहवलपुर	फसली 1359 के अनुसार रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा	–	रकबा 2.757है0	पंचशाला बन्दोबस्ती के कारण रकबे में 3 बीघा कमी	रकबे में की गई कमी के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
11	जमालपुर खादर	1370 फसली के अनुसार सोती नदी के नाम रकबा 9 बीघा	कुल खसरा नं0 3 कुल रकबा 2.276है0	ग्राम हाल ही में चकबन्दी प्रकिया से बाहर आया है। ग्राम लॉक होने कारण	रकबे में कोई कमी नही है।	उक्त ग्राम के अभिलेखो में बूढी गंगा के नाम कोई भूमि नही है।

				खतौनी नही बनी है।		
12	मनोहरपुर	1371फ0 के अनुसार सोती नदी के नाम रकबा 6 बीघा, 17 बिस्वां है।	उक्त ग्राम में चकबन्दी नही हुई है। धारा–6 का प्रकाशन किया गया है।	वर्तमान खतौनी में कुल रकबा 1. 733है0 सोती नदी के नाम से है।	रकबे में कोई कमी नही है।	उक्त ग्राम के अभिलेखो में बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि नही है।
13	ऐदलपुर(किठौर)	1359फ0 अनुसार कुल खसरा नं0 10 कुल रकबा 76 बीघा, 15 बिस्वा	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा –34–18–00	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा – 8.828है0	रकबे में 41 बीघा, 17 बिस्वा की कमी हुई, जिसमें से 16 बीघा, 15 बिस्वा पर आवंटन हुआ है।	रकबा 16 बीघा, 15 बिस्वा पर आवंटन निरस्तीकरण की प्रकिया की जा रही है तथा शेष कम हुए रकबे के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है
14	हस्तिनापुर पाण्डवान	1360 फसली कुल खसरा सं0 –7 कुल रकबा– 193 बीघा, 14 बिस्वां	कुल खसरा सं0 6 कुल रकबा 77बीघा, 2 बिस्वा, 10 बिस्वांसी	कुल खसरा सं0– 3 कुल रकबा – 0.474है0	आवंटन व समय–समय पर हुए आदेश के कारण रकबे में कमी	चकबन्दी प्रकियाओ के पश्चात बूढ़ी गंगा के खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा व खसरा सं0 896मि0 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 899ख मि0 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा व खसरा सं0 900ख रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खसरा सं0 1044 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा व खसरा सं0 1091क मि0 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा 18 बिस्वांशी कुल 06 खसरा नम्बरान कुल रकबा 75 बीघा 4 बिस्वा 18 बिस्वांशी पर विभिन्न प्रस्तावों / स्वीकृति दिनांको मे कृषि आवंटन किया गया। जिनके निरस्तीकरण की आख्या तत्कालीन उपजिलाधिकारी मवाना द्वारा दिनांक 29.08.2008 को मा0 न्यायालय अपर कलेक्टर (प्रशासन) मेरठ को प्रेषित की मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट सं0 75305/2010 श्रीमति ज्योति विश्वास आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि योजित की गयी जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के आदेश दिनांक 10.11.2010 को दिनांक 23.12.2010 को स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में वाद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। मा0 उच्च न्यायालय का अन्तिम आदेश संलग्न है।
15	हस्तिनापुर कौरवान	1360फ0– कुल खसरा	कुल खसरा सं0– 2	कुल खसरा सं0 1	आवंटन व समय–समय पर	चकबन्दी प्रकियाओ के पश्चात बूढ़ी गंगा के खसरा सं0 776 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व खसरा सं0 802 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा सं0 2

		सं0–2 कुल रकबा 252 बीघा, 2 बिस्वां	कुल रकबा–2 बीघा, 15 बिस्वां	कुल रकबा–1. 278है0	हुए आदेश के कारण रकबे में कमी	कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर स्वीकृति दिनांक 15.05.1985 मे कृषि आवंटन किया गया। उपरोक्त कृषि आवंटन के विरूद्ध एक वाद मा0 न्यायालय अपर कलैक्टर (प्रशासन) मेरठ के यहॉ वाद सं0 2 अन्तर्गत धारा 198(4) ज0वि0व भू0 व्य0 अधिनियम बलबीर सिंह आदि बनाम जतिन राम आदि योजित किया गया। उक्त वाद में आदेश दिनांक 31.01.2006 के क्रम में ग्राम हस्तिनापुर कौरवान परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जनपद मेरठ के गाटा सं0 776 रकबा 0.0531 है0 व गाटा सं0 802 रकबा 0.0164 है0 श्रीमति लीलावती पत्नी कमल सिंह नि0 हस्तिनापुर का पट्टा निरस्त किया जाता हैं तथा विवादित भूमि श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि बूढ़ी गंगा में निहीत की जाती हैं। तदोपरान्त उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के यहां अपील की गयी। जिसमे मा0 न्यायालय द्वारा निगरानी सं0 55/2005–06 लीलावती बनाम बलबीर आदि अन्तर्गत धारा 333 ज0 वि0 अधिनियम स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 31.01.2006 विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किया जाता हैं। जो वर्तमान खतौनी मे यथावत हैं।
16	गजुपुरा	फसली 1369 के अनुसार. झील– कुल खसरा सं0 24 रकबा 306 बीघा, 8 बिस्वां	कुल खसरा सं0 16 रकबा 65 बीघा, 3 बिस्वां	कुल खसरा सं0 3 रकबा 0. 456है0	1. खतोनी फसली 1369 व 41–45 में 61. 036है0 की कमी हुई है। कमी होने का कारण अंकित नही है। चकबन्दी प्रक्रियाओ के दौरान रकबे में कमी हुई है। 2. 41–45 व वर्तमान खतौनी में आवंटन के	आवंटन निरस्तीकरण की पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के यहां भेज दी गई है।

					कारण 16.027है0 की कमी हुई है	
17	इकवारा	1359 फसली के अनुसार कुल खसरा नं0 3 कुल रकबा 165 बीघा, 15 बिस्वा	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 205 बीघा, 6 बिस्वा	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 62.776है0	रकबे में वृद्धि	–
18	शिमला	–	–	–	–	उक्त ग्राम के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
	पहाड़पुर राम	–	कुल खसरा सं0–5 कुल रकबा –10–06–00	कुल खसरा सं0–5 कुल रकबा – 2.606है0	रकबे में कोई कमी नही।	–
19	बस्तौरा नौरंग					उक्त ग्राम के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
20	खोडराय	फसली 1359 के अनुसार कुल खसरा नं0 4, कुल रकबा 37 बीघा, 12 बिस्वा	कुल खसरा नं 11, कुल रकबा 56 बीघा , 4 बिस्वां	कुल खसरा नं0 10 कुल रकबा 13.429	रकबे में 3. 982है0 की वृद्धि हुई है।	–
21	दयालपुर	फसली 1359 के अनुसार कुल खसरा नं0 7, कुल रकबा 124 बीघा, 12 बिस्वा	कुल खसरा नं 02, कुल रकबा 76 बीघा , 1 बिस्वां	कुल खसरा नं0 02 कुल रकबा 18.804है0	फसली 1359 व सी0एच0 41–45 में कुल 48 बीघा 11 बिस्वां की कमी पाई गई ।	उक्त ग्राम में आवंटन एवं लिपिकीय त्रुटि के कारण रकबे में कमी हुई है, जिसमें आवटन निरस्तीकरण की प्रकिया की जा रही है तथा लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई कमी के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है
22	अलीपुर मोरना	1359 फसली	कुल खसरा	कुल खसरा	आवंटन के	आवंटन निरस्तीकरण की प्रकिया की जा रही है।

		के अनुसार कुल खसरा नं0 27, कुल रकबा 421 बीघा	सं0–18 कुल रकबा – 400 बीघा 5 बिस्वां	सं0–18 कुल रकबा – 99.323है0	कारण रकबे में कमी हुई है।	
23	गेसुपुर शुमाली	1359 फसली उपलब्ध नही है।	कुल खसरा नं0 01,कुल रकबा 34 बीघा, 15 बिस्वां	कुल खसरा नं0 01, कुल रकबा 5.5900है0	रकबे में 3. 2015है0 की कमी हुई।	रकबे में हुई कमी के संमय के अभिलेख उपलब्ध नही हो पाये, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
24	कीरतपुर	1359फ0 के अनुसार कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 32 बीघा, 9 बिस्वा	कुल खसरा सं0 3, कुल रकबा 10.2080है0	ग्राम लॉक होने के कारण खतौनी नही बनी है।	रकबे में 1. 999है0 की वृद्धि हुई।	–
25	बादशाहपुर	1360फसली के अनुसार कुल खसरा नं0 2, कुल रकबा 76 बीघा, 13 बिस्वा	कुल खसरा सं0 04, कुल रकबा 16.4520है0	कुल खसरा सं0 04, कुल रकबा 16.4520है0	चकबन्दी प्रकिया के दौरान रकबे में 2.9398है0 की कमी की गई।	रकबे में की गई कमी के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
26	इब्राहिमपुर	–	–	–	–	उक्त ग्राम में 1360फ0 से वर्तमान अभिलेखो तक कोई खाता बूढी गंगा के नाम दर्ज नही है।
27	खानवाला	–	–	–	–	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
28	असीलपुर	–	–	–	–	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान अभिलेखो में बूढी गंगा का काई खाता/भूमि अंकित नही है।
29	फिरोजपुर	–	–	–	–	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
30	भगवानपुर खादर	–	–	–	–	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।

	सारंगपुर	–	–	–	–	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
32	मिश्रीपुर	फसली 1361 में कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 19 बीघा था तथा 1362 फसली में बूढी गंगा का खाता हटा दिया	अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।	अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।	अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।	उक्त ग्राम में फसली 1361 में कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 19 बीघा था, जिसे अगली खतौनी 1362 फसली में बूढी गंगा का खसरा नाला खाते में दर्ज कर दिया गया, जिसे पूर्व की भांति बूढी गंगा के नाम दर्ज किये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।–
33	खानपुर गढी	फसली 1359 के अनुसार 3.काला पानी– कुल खसरा सं0 04 रकबा 7 बीघा, 5 बिस्वां 2. नाला – कुल खसरा सं0 02, रकबा 66 बीघा 5 बिस्वां 3.मिल्कियत सरकार काला पानी कुल खसरा सं0 01, रकबा 4 बिस्वां	ग्राम की चकबन्दी नही हुई है।	3.काला पानी– कुल खसरा सं0 03 रकबा 1.479है0 2. नाला – कुल खसरा सं0 01, रकबा 9.453है0 – गंगा नदी रकबा 42.038है0	0.355है0 कमी 7.252है0 कमी	उक्त ग्राम में बूढी गंगा के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। इसके अतिरिक्त काला पानी व नाला के रकबे में कमी के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

	सिकन्दरपुर	—	—	—	—	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
35	शाहीपुर	फसली 1365 के अनुसार कुल खसरा सं0–02 कुल रकबा– 1 बीघा, 11 बिस्वा (नाला)	ग्राम की चकबन्दी नही हुई है।	कुल खसरा सं0 –01, कुल रकबा 0.2150है0	बलजीत पुत्र सरूप उर्फ लाला व श्रीमती सुमरती विधवा सरूप उर्फ लाला निवासी शाहीपुर के नाम खसरा सं0 65 होने के कारण रकबा 0.177है0 की कमी	बलजीत पुत्र सरूप उर्फ लाला व श्रीमती सुमरती विधवा सरूप उर्फ लाला निवासी शाहीपुर के नाम खसरा सं0 65 होने के कारण रकबा 0.177है0 की कमी हुई है, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
36	चांदपुर	—	—	—	—	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
37	असकरीपुर	—	—	—	—	उक्त ग्राम में 1359 फसली से वर्तमान तक के अभिलेखो में बूढी गंगा नही है।
38	अकबरपुर गढी	1359फ0के अनुसार कुल खसरा नं0 10, कुल रकबा 116 बीघा, 5 बिस्वा, 5 बिस्वांसी	कुल खसरा नं0 25, कुल रकबा 175 बीघा, 15 बिस्वां	कुल खसरा नं0 26 कुल रकबा 42.7080है0	41–45 व वर्तमान खतौनी में 1.756है0 की कमी	रकबे में कमी के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।
39	हिमांयुपुर	1359फ0 के अनुसार कुल खसरा नं0 01, कुल रकबा 14 बिस्वां	कुल खसरा नं0 04, कुल रकबा 16 बीघा, 8 बिस्वा	कुल खसरा नं0 01 कुल रकबा 0.202है0	—	41–45 से वर्तमान खतौनी में 3 खसरा नंम्बर दर्ज नही पाये गये, जिसके सम्बन्ध में जोत चकबन्दी आकार पत्र–41 से वर्तमान तक के समस्त अभिलेगखो की जांच की जा रही है।
40	हटूपुरा	1. बूढी गंगा– 1358फ0 के	1. बूढी गंगा– कुल खसरा	1. बूढी गंगा– कुल खसरा	—	1360फ0 में गंगा नदी के नाम कोई खाता दर्ज नही है, जबकि जोत चकबन्दी आकार पत्र 41–45 में बूढी गंगा व गंगा नदी के नाम खाता

		अनुसार कुल खसरा नं0 2, कुल रकबा 13 बीघा, 9 बिस्वा 2. बूढी गंगा– 1360फ0 के अनुसार कुल खसरा नं0 4 कुल रकबा 26 बीघा, 10 बिस्वां	सं0–4 कुल रकबा –11–07–00 2. गंगा नदी – कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 56 बीघा, 10 बिस्वा	सं0–4 कुल रकबा – 2.872है0 2. गंगा नदी– कुल खसरा नं0 01, कुल रकबा 14.290है0		दर्ज है। 41–45 व वर्तमान खतौनी के अनुसार 1360 फसली के बूढी गंगा के रकबे में वृद्धि हुई है।
41	नंगला गोसाई	फसली 1359 में काई खाता बूढी गंगा के नाम दर्ज नहीं है।	कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 27.640है0	कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 24.6730है0	आवंटन के कारण रकबे में 2.967है0 की कमी हुई है।	आवंटन निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है।
42	अगवानपुर	1360फ0 कुल खसरा सं0–5 कुल रकबा– 214बीघा, 11 बिस्वां	कुल खसरा सं0– 50 कुल रकबा– 202 बीघा, 19 बिस्वां	कुल खसरा सं0–20 कुल रकबा–34. 095है0	चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त आवंटन होने के कारण रकबे में कमी	खसरा सं0 2060, 2062, 2063, 2228, 2259, 2264, 2265, 2266, 2270, 2490, 2491, 2500ख, 2502, 2503, 2505, 2506, 2510, 2686, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2822, 2823, 2824, 2831, 2828, 2833, 2836, 2838ख,, 2845, 2846, 2525 पर प्रस्ताव दिनांक 12.07.1970 के क्रम में तत्कालीन उपजिलाधिकारी मवाना, महोदय द्वारा दिनांक 24.03.1972 को स्वीकृत किये गये कृषि आवंटन के निरस्तीकरण की आख्या जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है। रिपोर्ट संलग्न है।
43	मुजफ्फरपुर खुण्टी	1360फ0 कुल खसरा सं0 –7 कुल रकबा 71 बीघा, 15 बिस्वा, 7 बिस्वांसी	कुल खसरा सं0–8 कुल रकबा – 51 बीघा, 3 बिस्वा	कुल खसरा सं0–7 कुल रकबा– 12.281है0	एस0डी0ओ0 के आदेश दिनांक 09.02.1971 के अनुपालन में ग्राम समाज सम्पत्ति से खारिज होकर	एस0डी0ओ0 के आदेश दिनांक 09.02.1971 के अनुपालन में ग्राम समाज सम्पत्ति से खारिज होकर खातेदारो के नाम दर्ज कर दी गई, जिसके कारण रकबे में 02 बीघा, 12 बिस्वा की कमी हुई, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही जा रही है।

					खातेदारो के नाम दर्ज कर दी गई, जिसके कारण रकबे में 02 बीघा, 12 बिस्वा की कमी हुई।	
44	बाघपुर	1360फ0 कुल खसरा सं0 –3 कुल रकबा 62 बीघा, 3 बिस्वा,	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 19.741है0	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 19.741है0	रकबे में वृद्धि	–
45	समसपुर	1359फ0 के अनुसार कुल खसरा सं0 01, कुल रकबा 11 बीघा, 06 बिस्वां	कुल खसरा सं0–6 कुल रकबा –10–19–00	कुल खसरा सं0–6 कुल रकबा – 2.769है0	रकबे में 07 बिस्वा की कमी हुई।	रकबे में हुई कमी के संमय के अभिलेख उपलब्ध नही हो पाये, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
46	सुल्तानपुर डबल	1359 फ0 के अनुसार कुल खसरा नम्बरान 01, कुल रकबा 14 बीघा	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा –4. 072है0	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा – 4.072है0	रकबे में 2 बीघा, 1 बिस्वा, 18 बिस्वांसी की वृद्धि हुई।	–
47	महमूदाबाद	फसली 1359 के अनुसार काला पानी कुल खसरा सं0 6 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा	कुल खसरा सं0 7 रकबा 1. 3530है	पोर्टल पर ग्राम लॉक होने के कारण खतौनी नही बनी है।	चकबन्दी के कारण रकबा 0. 1510है0 वृद्धि हुई है।	–
48	तरबियतपुर	–	–	–	–	उक्त ग्राम के अभिलेखो में बूढ़ी गंगा नही है।

	शुमाली खरखाली	फसली 1359 के अनुसार 1. गंगा – कुल खसरा सं0 01, रकबा 273 बीघा, 7 बिस्वां 2. नाला – कुल खसरा सं0 01, रकबा 38 बीघा 17 बिस्वां 3. काला पानी– कुल खसरा सं0 01 रकबा 2 बीघा, 17 बिस्वा	ग्राम की चकबन्दी नही हुई है।	1. गंगा – कुल खसरा सं0 01, रकबा 102.1710है0 2. नाला – कुल खसरा सं0 02, रकबा 47.792है0 3.काला पानी– कुल खसरा सं0 01 रकबा 0.8220है0	33.0140है0 बेशी 37.964है0 बेशी 0.101है0 बेशी	
50	रठौड़ा कलां	फसली 1359 के अनुसार रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा	रकबा 6.572है0	रकबा 6.5720है0	रकबे में कोई कमी नही है।	–
51	गुढा	1359फ0 के अनुसार भूढ गंगा के नाम कुल खसरा न0 11 बीघा, 18 बिस्वा,	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा –23–11–00	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा – 4.616है0	आवंटन के कारण रकबे में कमी	प्रस्ताव दिनांक 03.03.1976 के कम में तत्कालीन उपजिलाधिकारी मवाना, महोदय द्वारा दिनांक 30.06.1976 को स्वीकृत किये गये कृषि आवंटन के निरस्तीकरण की आख्या जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है।
52	जलालपुर जोरा	1359 फ0 के अनुसार 1. झील– कुल	ग्राम चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत है।	वर्तमान खतौनी में गंगा के नाम से कुल खसरा	रकबे में वृद्धि हुई है।	–

		खसरा नं0 1, कुल रकबा 1 बीघा, 14 बिस्वा 2. सोती– कुल खसरा नं0 2, कुल रकबा 2 बीघा, 9 बिस्वा 3. दरियाये गंगा – कुल खसरा नं0 1, रकबा 5 बीघा	बन्दोबस्त में रकबा 545 बीघा, 7 बिस्वां	नम्बरान 38 कुल रकबा 138. 039है0		
53	मीरपुर साधोनांगल	1359 फ0 के अनुसार कुल खसरा नं0 02, कुल रकबा 3 बीघा, 12 बिस्वा	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा –5–15–00	कुल खसरा सं0–1 कुल रकबा – 1.454है0	रकबे में 1 बीघा, 16 बिस्वा की वृद्धि हुई।	–
54	अकबरपुर खादर	1359 फसली के अनुसार कुल खसरा नं0 7 कुल रकबा 63 बीघा, 14 बिस्वा	यह ग्राम चकबन्दी प्रकिया में धारा–6 से वापस आया है, जिसकी जोत चकबन्दी आकार पर नही है	कुल खसरा सं0–2 कुल रकबा – 7.133है0	रकबे में 8. 9831है0 की कमी हुई।	रकबे में कमी के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
55	आसिफाबाद	1359 फसली के अनुसार कुल खसरा नं0 8, कुल रकबा 70 बीघा 06 बिस्वा	कुल खसरा सं0 05, कुल रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा	कुल खसरा नं0 06, कुल रकबा 17.3760है0	रकबे में 1359फ0 व 41–45 में 12 बिस्वां की कमी हुई।	रकबे में हुई कमी के संमय के अभिलेख उपलब्ध नही हो पाये, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
56	गेसुपुर जनूबी	1360 फसली	कुल खसरा नं0	कुल खसरा नं0	आवंटन के	आवंटन निरस्तीकरण की कार्यावाही प्रकियाधीन है।

		के अनुसार कुल खसरा नं0 1, कुल रकबा 19 बीघा, 2 बिस्वां	1, कुल रकबा 4.8323है0	1, कल रकबा 2.7070है0	कारण रकबे में पाई गई।	
57	मोहम्मदपुर खेड़ी	1360 फसली के अनुसार कुल खसरा नं0 2, कुल रकबा 50 बीघा, 19 बिस्वां	कुल खसरा नं0 3, कुल रकबा 5 बीघा, 3 बिस्वां	कुल खसरा नं0 3, कुल रकबा 1.3020है0	रकबे में कमी पाई गई है।	रकबे में कमी के सम्बन्ध में अभिलेखो की जांच की जा रही है।
58	किशोरपुर	1360 फसली के अनुसार सोती के नाम से कुल खसरा सं0 2, कुल रकबा 25 बीघा, 6 बिस्वां	41–45 में बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। गंगा नदी के नाम से कुल खसरा नं0 5, कुल रकबा 839 बीघा, 18 बिस्वा है।	कुल खसरा नं0 8, कुल रकबा 202.356है0	–	1360फसली में बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि दर्ज नही है, सोती के नाम दर्ज है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 41–45 में गंगा नदी के नाम भूमि दर्ज है।
59	अकबरपुर इच्छाबाद	1378फ0 के अनुसार झील के नाम कुल खसरा नं0 22 कुल रकबा 158 बीघा, 6 बिस्वा है।	कुल खसरा नं0 2, कुल रकबा 150 बीघा, 6 बिस्वा	कुल खसरा नं0 29, कुल रकबा 26.224है0	आर्वटन के कारण रकबे में कमी हुई है।	आर्वटन निरस्तीकरण की प्रकिया की जा रही है।

चूंकि बूढी गंगा अपने प्रवाह के अनुसार बह रही है, किन्तु आंवटन या अन्य किसी कारण से यदि प्रवाह का संरेखण प्रभावित हुआ है, तो उसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। न्यायालय के अन्तिम आदेश के उपरान्त कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

लेखपाल

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

1. रोहित शर्मा लेखपाल

2. Prince Panghal
प्रिंस पांघाल लेखपाल

3. विकास कुमार (लेखपाल)

4. शिवम निर्वाण

5. रूपाली वर्मा लेखपाल
क्षेत्र – मटोरा

6. Shivam Kumar

7. प्रीतम सिंह लेखपाल
12/01/24

8 दीपक कुमार लेखपाल

9.

10. लेखपाल

11. सौरभ कुमार लेखपाल

12

13 VK लेखपाल

14 12/01/024

15. 12.1.2024

16. 12/01/024

राजस्व निरीक्षक

1. R.I.

2. R.I.

3. R.I.

4. R.I.

नायब तहसीलदार

1. NT 12/01/2024

2. NT

3.

तहसीलदार
मवाना (मेरठ)

उप जिलाधिकारी
मवाना।